कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

xxx

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/428 दिनांक 22-1-2021

प्रेषित:- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जायल

विषय:- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने हेतु।
राजस्व वाद सं. 104/2019

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 10-8-20 के संबंध में।

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आपके पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 10-8-20 की पालना में रा०वा० सं. 104/2019 का निर्णय दि० 10-8-20 की प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार हो जाने से इस पत्र के संलग्न भिजवाया जा रहा है

अत: राजस्व वाद सं. 104/2019 की प्राथमिक डिक्री की पालना सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न:- रा.वा.सं. 104/2019 की प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिग्री की मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 11/01/2021 को श्रीमान सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के राजस्व वाद क्रमांक 184/2019 दि० 01/08/2020 व श्रीमान तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक / भू अ०/2020/2357 दि० 24/08/2020 व भू० अ० नि० लूणासरा के नोटिस क्रमांक 02/05.01.2021 की पालना में हमराह पटवारी भावला के साथ प०ग० भावला के राजस्व ग्राम मुण्डी के ख०नं० 200, 216, 202/467 व 217 की प्राथमिक डिग्री अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर भूमि विभाजन प्रस्ताव मौके पर काबिज अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया जो निम्न प्रकार है।—

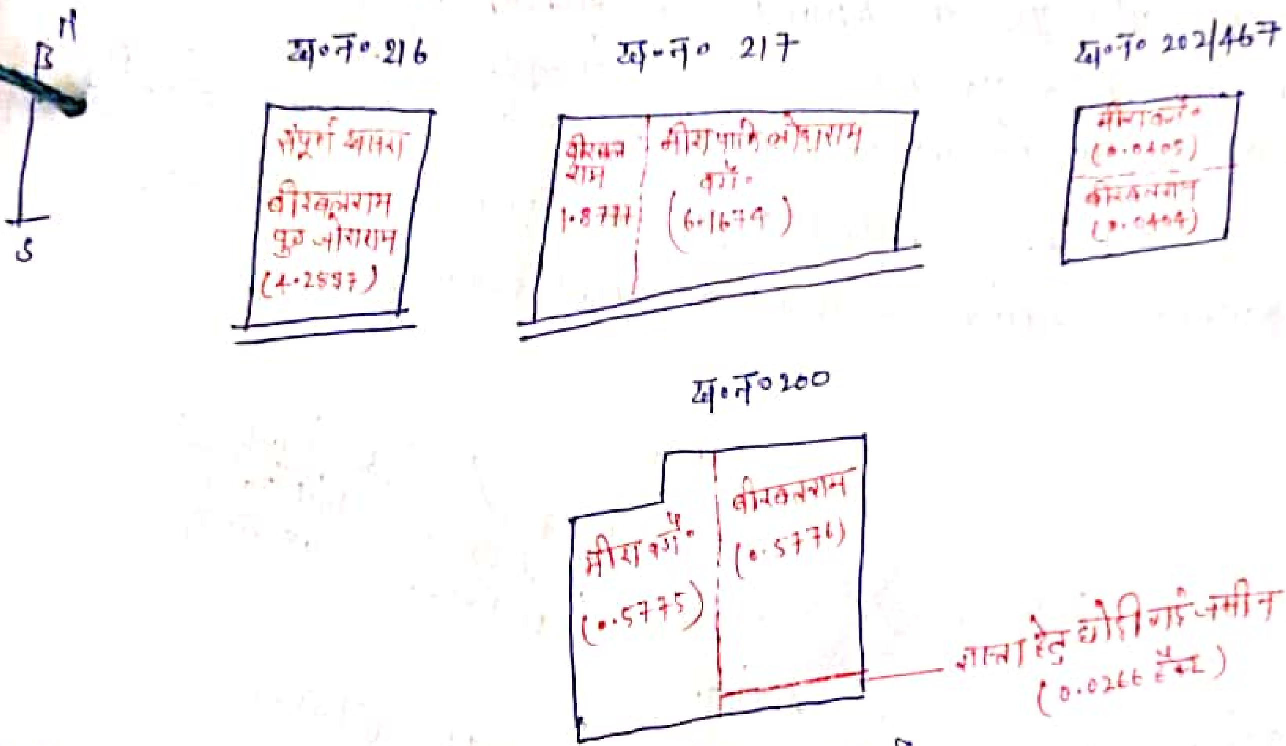

मौके पर भूमि विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है।—

S. No.	खसरा नम्बर	काश्तकार	रकबा (हैक्ट०)	लगान	दिशा
1.	216 217 202/467 200	बीरबलराम पुत्र जोराराम जाति जाट	सम्पूर्ण 1.8777 0.0404 0.5776	13.26 5.80 गै० मु० काश्त 2.49	सम्पूर्ण 217 में पश्चिम 202/467 में दक्षिण 200 में पूर्वी
2.	217 202/467 200	मीरा पत्नि लोदाराम 1/4 शिवपाल पुत्र लोदाराम 1/4 जाति जाट उर्मिला पुत्री लोदाराम 1/4 हरेन्द्र पुत्र लोदाराम 1/4	6.1674 0.0405 0.5775	19.06 गै० मु० काश्त 2.49	217 में पूर्वी हिस्सा 202/467 में उत्तरी 200 में पश्चिम हिस्सा

S.No.	काश्तकार	रकबा	लगान	दिशा
1	ख०नं० 200 में छोड़ी गई रास्ता हेतु	0.0266 हैक्ट०	—	दक्षिण पूर्वी

P.T.O.

Scanned with CamScanner

ख॰न॰ 216 रकबा 4.2897 हैक्टर (पेटा), ख॰न॰ 217 में पश्चिम हिस्सा रकबा 1.8777 हैक्टर

ख॰न॰ 202/467 में दक्षिण हिस्सा रकबा 0.0404 हैक्टर व ख॰न॰ 200 में पूर्वी हिस्सा रकबा 0.5776 हैक्टर कुल 6.7854 हैक्टर जमीन बीरबलराम के हक में तथा

ख॰न॰ 217 में पूर्वी हिस्सा 6.1674 हैक्टर ख॰न॰ 202/467 में उत्तरी हिस्सा रकबा 0.0405 हैक्टर व ख॰न॰ 200 में पश्चिम हिस्सा रकबा 0.5775 हैक्टर कुल 6.7854 हैक्टर मीरा पत्नि भोड़ाराम क़ौ॰ के हक में।

खातेदारों से पूछने पर बताया गया कि गेठीदेवी, मोहनीदेवी, व धापूदेवी पुत्रियां ओराराम व एक लड़की इन्द्रा की मौत हो चुकी है जिनकी दो जीवित पुत्रियां होना बताया इनका मौके पर कब्जा नहीं है। सभी शादीशुदा है ससुराल में रहती है।

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पढ़कर सुनाया गया व उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गए।

Dinesh
11/01/2021
प॰ जायल

कैलाश
I.t.R./ICR/Gk कुचेरा
11-1-2021

प्रस्तावकर्ता मीरा देवी
द्वारा
गेनाराम

[अंगूठा निशानी]
अ.नि. मीरा देवी

बीरबलराम
8696489359

रिछपाल
9724107565

सुरेन्द्र
9373440592

[हस्ताक्षर]
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

C.S.

[हस्ताक्षर] 16/01/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर

बईजलास : रवीन्द्र कुमार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या– 184/2019

वादी

1. बीरबलराम पुत्र जोराराम, जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी मुंडी तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रिछपाल पुत्र लोड़ाराम,
2. हरेन्द्र पुत्र लोड़ाराम,
3. उर्मिला पुत्री लोड़ाराम,
4. मीरां पत्नि लोड़ाराम,
5. गेठीदेवी पुत्री जोराराम, जाति जाट
6. मोहनी देवी पुत्री जोराराम, जाति जाट,
7. धापूदेवी पुत्री जोराराम, जाति जाट, सभी उम्र वयस्क, निवासी मुंडी, तहसील जायल जिला नागौर
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन खेताय अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता –

1. वादी की ओर से शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

: : निर्णय : :

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एक ओर भाई लोड़ाराम था जो फौत हो गया है जिसके उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 है। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वादी तथा स्व. लोडाराम की बहने है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य है। जो श्रीमति जीमनाई पुत्री सांवताराम के उतराधिकारीगण है। श्रीमति जिमनाई की खातेदारी तथा कब्जा कास्त की भूमियां मौजा मुंडी तहसील जायल में खसरा नं. 200 रकबा 1.1817 हैक्टर, खसरा नं. 202/467 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा नं. 216 रकबा 4.2897 हैक्टर तथा खसरा नं.. 217 रकबा 8.0451 हैक्टर कुल रकबा 13.5974 हैक्टर आई हुई है। श्रीमति जिमनाई का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन फौतगी नामान्तरकरण अभी नही हुआ है। वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के अलावा और कोई उतराधिकारी स्व. जिमनाई का नही है। श्रीमति जिमनाई के स्वर्गवास के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ही उस मुतदाविया खेताय की भूमि के खातेदार है तथा इन्ही का कब्जा कास्त इन भूमियों पर है। लेकिन फौतगी नामान्तरकरण नही होने के कारण यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश होना जरूरी हो जाने से यह दावा वास्ते घोशणा खातेदारी के लिए पेश किया गया है। इतने समय तक वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 इन भूमियों पर शामिल ही कास्त कर रहे थे। लेकिन गत वर्ष पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का मौखिक विभाजन वाद के पैरा संख्या 5 (1 से 4) के अनुसार कर लिया लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। माफिक वादपत्र के वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को बंटवारा स्कीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी करने का आदेश बाबत् निवेदन अधिवक्ता वादी द्वारा किया गया।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वयं द्वारा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता के मार्फत उपस्थित होकर वाद से सहमति जताते हुऐ ईकबाली जबाव दावा किया। प्रतिवादी संख्या 8 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद भी गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

गया है जिससे प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई तथा पत्रावली वास्त साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी पी.डब्लू 1 बीरबलराम, प्रतिवादी रिछपाल पी. डब्लू 2, प्रतिवादी मीरा पी.डब्लू 3 के पेश किये गये। शपथ पत्र गवाह बीरबलराम, रिछपाल के बयान कलमबद्ध किये गये तथा शपथ पत्र शामिल मिशल किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 66/60 प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र जीमनाईदेवी प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र लोड़ाराम, प्रदर्श-3 तथा मृतक लोड़ाराम व जीमनाई के उतराधिकारी बाबत् ग्राम पंचायत भावला द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किये तथा वकील वादी ने साक्ष्य बंद की जाकर बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 5 (1 से 4) के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी करने का निवेदन किया। वादी द्वारा किये गये अभिकथनो तथा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल परफोर्मा पक्षकार है। वाद पत्र विचारणीय बिन्दु यह है कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वर्गीय जिमनाई के वारिसान होकर वादग्रस्त भूमि के खातेदार है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 5 में बताये अनुसार विभाजन उपरान्त खातेदारी पाने तथा उसी अनुसार विभाजन की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। जमाबंदी ग्राम मुण्डी तहसील जायल सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 66/60 प्रदर्श 1 में मुतदाविया खेताय की खातेदारी जिमनाई (पत्नी जोराराम) पुत्री सांवतराम के नाम से है तथा वादपत्र में बताये अनुसार वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 उसके उतराधिकारी होने की सम्पुष्टि ग्राम पंचायत भावला द्वारा जारी उतराधिकारी होने के प्रमाण पत्र से होती है। दोनो गवाहान द्वारा किये गये बयान से भी यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् द्वारा वाद में बताये अनुसार मौखिक विभाजन हो रखा है तथा उसी के अनुसार कब्जे काश्त है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सम्पुष्टि होती है। परन्तु वाद में बताई गई स्कीम बंटवाड़ा में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का कोई बंट नही रखा है लेकिन उक्त खसरान के खातेदारो के बीच पहुँच मार्ग एवं वास्तविक नजरी नक्शा के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अधीन धारा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत वाद आशिंक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री के आदेश दिनांक 10.08.2020 को किया गया।

प्राथमिक डिक्री आदेश 10.08.2020 की पालना में तहसीलदार जायल से बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/428 दिनांक 22.01.2021 को प्राप्त हुई जो दिनांक 16.02.2021 को सामिल मिसल किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वादी बीरबल एवं प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल, 2 हरेन्द्र, व 4 मीरा के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित है । इसी प्रकार गेठीदेवी, मोहनीदेवी व धापूदेवी पुत्रियां जोराराम व एक लडकी इन्द्रा फौत हो जाने तथा दो जाईन्दा पुत्रियां जो शादी सुदा होना तथा ससुराल में रहना व मौके पर कब्जा काश्त नहीं का अंकन बंटवारा प्रस्ताव में है। पत्रावली एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का खेताय में हक हिस्सा नहीं रखा है तथा अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है। अतः प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का मुतदाविया भूमि में से हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्राथमिक डिक्री 16.02.2021 अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

यतः वादी का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बीरबल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा मुण्डी तहसील जायल के खसरा नं. 216 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, ख. नं. 217 रकबा 8.0451 हैक्टैयर में से 1.8777 पश्चिमी भाग, खसरा नं. 202/467 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में से 0.0404, दक्षिणी भाग, खसरा नं. 200 रकबा 1.1817 हैक्टैयर में से 0.5776 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव में प्राप्त नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

2. मौजा मुण्डी तहसील जायल के खसरा नं. 217 रकबा 8.0451 हैक्टैयर में से 6.1674 पूर्वी भाग, खसरा नं. 202/467 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में से 0.0405 उत्तरी भाग, खसरा नं. 200 रकबा 1.1817 हैक्टैयर में से 0.5775 हैक्टैयर पश्चिमी भाग में प्रतिवादीगण रिछपाल, हरेन्द्र, उर्मिला, मीरां (प्रत्येक का 1/4 – 1/4) हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में माफिक बंटवारा प्रस्ताव में प्राप्त नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 5 से 7 हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

16/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर

राजस्व वाद संख्या– 184/2019

वादी

1. बीरबलराम पुत्र जोराराम, जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी मुंडी तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रिछपाल पुत्र लोड़ाराम,
2. हरेन्द्र पुत्र लोड़ाराम,
3. उर्मिला पुत्री लोड़ाराम,
4. मीरां पत्नि लोड़ाराम,
5. गेठीदेवी पुत्री जोराराम, जाति जाट
6. मोहनी देवी पुत्री जोराराम, जाति जाट,
7. धापूदेवी पुत्री जोराराम, जाति जाट, सभी उम्र वयस्क, निवासी मुंडी, तहसील जायल जिला नागौर
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन खेताय अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता –

1. वादी की ओर से शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व अन्तिम डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी बीरबल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा मुण्डी तहसील जायल के खसरा नं. 216 रकबा 4.2897 हैक्टेयर, ख. नं. 217 रकबा 8.0451 हैक्टैयर में से 1.8777 पश्चिमी भाग, खसरा नं. 202/467 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में से 0.0404, दक्षिणी भाग, खसरा नं. 200 रकबा 1.1817 हैक्टैयर में से 0.5776 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक बंटवारा प्रस्ताव में प्राप्त नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. मौजा मुण्डी तहसील जायल के खसरा नं. 217 रकबा 8.0451 हैक्टैयर में से 6.1674 पूर्वी भाग, खसरा नं. 202/467 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में से 0.0405 उतरी भाग, खसरा नं. 200 रकबा 1.1817 हैक्टैयर में से 0.5775 हैक्टैयर पश्चिमी भाग में प्रतिवादीगण रिछपाल, हरेन्द्र, उर्मिला, मीरां (प्रत्येक का 1/4 – 1/4) हक बंट

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

कब्जा काश्त एवं खातेदारी में माफिक बंटवारा प्रस्ताव में प्राप्त नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 5 से 7 हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

आज की तारीख लीज –मुबलिक–बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर–फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक–को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/02/2024 को जारी किया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी नर		
फीस कमी नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

16/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner